संख्या-40 / 1657/12-3-2015-100(11)/2015टी.सी.

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद**,**

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

**समस्त मण्डलायुक्त,**

उत्तर प्रदेश।

**समस्त जिलाधिकारी,**

उत्तर प्रदेश।

**कृषि अनुभाग-3,** **लखनऊ: दिनॉक: 29 अक्टूबर, 2015**

विषय:- नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (N.M.S.A) योजनान्तर्गत संचालित मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत **मृदा नमूनें ग्रहीत करने के अभियान** के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के अन्तर्गत **सभी कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध** कराये जाने हैं। उक्त संदर्भ में ही भारत सरकार द्वारा संचालित नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर (N.M.S.A) योजनान्तर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रदेश में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में शुरू किया गया है। उक्त योजनान्तर्गत समस्त जनपदों के एक तिहाई ग्राम पंचायतों का चयन करते हुए ग्रिड के आधार पर मृदा नमूनें प्राप्त किये जायेंगें तथा शेष दो तिहाई ग्राम पंचायतों में वर्ष 2016-17 में मृदा नमूनें ग्रहीत किये जायेगें। उक्त संदर्भ में कृषि निदेशक, उ0प्र0 द्वारा निदेशालय के पत्रांक-शो0एवंमृ0सर्वे0/454/2015-16/दिनांक 05.10.2015 जो आपको सम्बोधित है तथा निदेशालय के पत्रांक- शो0एवंमृ0सर्वे0/239/2015-16/दिनांक 16.07.2015 एवं पत्रांक-शो0एवंमृ0सर्वे0/127/2015-16/दिनांक 08.06.2015 द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड के सफल संचालन हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किये जाने के संबंध में है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत **मृदा नमूनें ग्रहीत करने के अभियान** वर्ष 2015-16 को सफल बनाने हेतु निम्न कार्यवाही अपेक्षित हैं:-

- यह अभियान जिलाधिकारी के नेतृत्व मे संचालित किया जायेगा। इस संबन्ध में आप से अपेक्षा है कि इसके लिये आप अपने जनपद के कृषि विभाग एवं अन्य संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों की समीक्षा बैठक तत्काल अपने स्तर पर करते हुए **माह नवम्बर, 2015 के 03 अथवा 04 तिथियों को** निर्धारित करलें।

http://shasanadesh.up.nic.in

- पत्र के साथ संलग्न जनपदवार मृदा नमूना लक्ष्य का आवंटन सुनिश्चित करते हुए लक्षित नमूनों का **माह नवम्बर, 2015 में शतप्रतिशत मृदा नमूना ग्रहीत किया जाना सुनिश्चित किया जाये**।
- ग्रिड के आधार पर नमूना ग्रहीत करने हेतु प्रत्येक जनपद के लक्ष्य को कृषि विभाग (प्रसार कार्यकर्ता, आत्मा योजना से संबंधित कार्यकर्ता, कृषि रक्षा, भूमि संरक्षण, मृदा सर्वेक्षण), तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर इसे एक अभियान के तौर पर सम्पन्न कराया जाय।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड अंतर्गत प्रत्येक लक्षित/चयनित ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं हेतु एक कार्मिक को नामित किया जायेगा, जो ग्राम पंचायत/ग्राम सभा का सजरा मानचित्र (भू-मानचित्र) संबंधित विभाग से प्राप्त कर उक्त सजरा मानचित्र पर उध्र्वाधर (लम्बवत्) एवं क्षैतिज (हरिजंटल) रेखाएं खींची जायेगी। सजरा मानचित्र पर रेखांकन/ग्रिड खीचते हुए यह ध्यान दिया जायेगा की मानचित्र के एक किनारे से चार-चार से.मी. पर उध्र्वाधर रेखाएं खींची जाए तथा इसी प्रकार क्षैतिज रेखाए खीचने हेतु सजरा मानचित्र के एक किनारे से चार-चार से.मी. पर रेखाएं खीची जाए। इस प्रकार 4X4cm (1.58X1.58 bp) के कटान बिन्दु/ग्रिड से तैयार एक खाना 2.5 हे0 का होगा।
- यदि एक भूखण्ड एक से अधिक ग्रिड में पड़े तो जिस ग्रिड में उसका अधिकांश हिस्सा हो, उसी से उस भूखण्ड की गणना की जाय।
- दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 को निदेशालय पर आयोजित वर्कशाप में भारत सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड कार्यक्रम अंतर्गत सिंचित क्षेत्र से 2.5 हे0 के ग्रिड पर एक मृदा नमूना एवं असिंचित क्षेत्र से 10 हे0 के ग्रिड पर एक मृदा नमूनें प्राप्त किये जायेंगे एवं सिंचित/असिंचित क्षेत्र के ग्रिड से आच्छादित समस्त खसरा संख्या/कृषकों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड उस आदर्श ग्रिड से प्राप्त मृदा नमूनों के विश्लेषण परिणाम (pH, EC, Organic Carbon Available N, P, K, S, Zn, Cu, Fe, Mn&B) के आधार पर मृदा स्वास्थ्य कार्ड नि:शुल्क उपलब्ध कराये जायेगें।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत **मृदा नमूनें ग्रहीत करने के अभियान** के अतर्गत खेतो से/ग्रिड क्षेत्र से मृदा नमूना लेने की विधियां:-

  जिस ग्रिड के अंतर्गत मृदा नमूना एकत्र करना है उसमें 3 से 4 स्थानो पर 6इचंX4इचंX6इचं के गडढे खोद लें।

  **d**· ग्रिड के अंतर्गत मृदा नमूना पेड़ के पास, सिंचाई नाली, खाद के गढडे आदि से मृदा नमूना न लें। नमूना लेने के स्थान की सतह से खर-पत्वार साफ करके नमूना लें।

  **ख**. खुरपी से उस गडढे की दीवार से लगभग 2.5 सेमी0 पर्त उपर से नीचे लें।

  **X**· खेत/ग्रिड के विभिन्न गडढो से प्राप्त मिटटी को साफ कपडे/कागज/बर्तन में डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब मिटटी का ढेर बना लें तथा उसके चार भाग कर लें। आमने सामने के दो भाग फेक दे एवं दो भाग फिर अच्छी तरह से मिलावें। पुन: ढेर बनाकर उक्त प्रकिया को दोहरावें। यह प्रक्रिया तब तक करें जब मिटटी आधा किलो रह जायें। मिटटी साफ थैली मे भर दें।

http://shasanadesh.up.nic.in

**घ.** अब दो लेवल लें। उन पर कृषक का नाम, ग्राम का नाम, खसरा संख्या, ग्रिड संख्या, भू-स्थिति (अक्षांश एवं देशान्तर का अंकन स्मार्ट फोन/जी0पी0एस0 के द्वारा किया जाये), दिनांक, विकासखण्ड का नाम, तहसील का नाम, जनपद का नाम आदि अवश्य लिख दें। एक लेवल थैली के अन्दर एवं एक लेवल थैली के उपर बाँध दें।

**य**. यदि मिटटी गीली हो तो उसे छाया मे सुखाकर थैली मे भरना चाहियें। इस प्रकार एकत्रित मृदा नमूनों को यथाश्रीघ भेज देना चाहियें।

- कार्ययोजना के सफल संचालन हेतु समस्त सहायक निदेशक (मृ0परी0/क0), क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला के अधिकारी अपने जनपदीय उप कृषि निदेशक, उ0प्र0 के मार्गदर्शन में कार्ययोजना में संलग्न सभी कार्मिकों को मृदा नमूनें लेने, भू-मानचित्रों पर ग्रिड का अंकन करने आदि जानकारी से प्रशिक्षित करेंगे।
- जनपद में उपलब्ध मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं के मध्य ग्रामों को वितरित कर दिया जाय, ताकि जिस प्रयोगशाला में परीक्षण दिया जाना है, मृदा नमूने सीधे वहीं पहुचाए जायें।
- मृदा नमूने के संग्रहण पर रू0-10/- प्रति नमूना मानदेय अनुमन्य है। सरकारी कर्मचारी ग्राम के जिस व्यक्ति से मृदा नमूने लेने का कार्य लिया जाय, उसे इस मद से भुगतान कराया जा सकता है।
- जनपद स्तर पर **मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के नोडल अधिकारी जनपदीय उप कृषि निदेशक** हैं।
- समस्त जिलाधिकारी विकासखण्डवार नोडल अधिकारी नामित करेंगें जिनके देख रेख मे मृदा नमूनो का एकत्रीकरण किया जायेगा। प्रगति रिपोर्ट उप कृषि निदेशक के माध्यम से जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा।
- आप से अनुरोध है कि नमूना संग्रहण के अभियान के रूप में सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने का कष्ट करें। 5 दिसम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय मृदा दिवस है, जिस अवसर पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कृषकों को अधिकाधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जाय।

भवदीय,

**( अमित मोहन प्रसाद )**

प्रमुख सचिव।

संख्या-1657(1)/12-3-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त सहायक निदेशक (मृदा परीक्षण/कल्चर) क्षेत्रीय भूमि परीक्षण प्रयोगशाला, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जनपदीय उप कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक (शोध), उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. संयुक्त कृषि निदेशक, शोध एवं मृदा सर्वेक्षण अनुभाग, उत्तर प्रदेश।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. अपर कृषि निदेशक (चावल)/नोडल अधिकारी, (NMSA) उत्तर प्रदेश।
7. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

**(इन्द्रदेव पटेल)**
विशेष सचिव।

http//:shasanadesh.up.nic.in